

(96)



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

आरे ३.७.१५
के बारे में सदृश नोट
के समय प्रक्रिया

3.7.15

दृष्टि ताजा को
इस्तुति

कार्यालय अॉफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

/ 2014 पुनरीक्षण R - २९३८- ११११५

नाथूराम पुत्र कुंजलाल लोधी
निवासी ग्राम टक्कटकी तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

श्रीमती पिस्ता पल्नी उत्तम सिंह लोधी
निवासी ग्राम चिरली तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म.प्र.)

.... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, परगना करैरा जिला
शिवपुरी द्वारा प्र.क. ३०/२०१२-१३/अप्रैल में पारित
आदेश दिनांक ५.७.१४ के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता
१९५९ की धारा ५० के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

विरुद्ध
५-९-१५

यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होनेसे प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त योग्य है।

- 2— यह कि, वादग्रस्तभूमि सर्वे नं. 490 मिन रकवा 1.40 हे. पर आवेदक का 2.10.84 के पूर्व से कब्जा था इस आधर पर नायब तहसीलदार करैरा ने प्र.क. 165/91-92/अ-19 दर्ज कर विधिवत कार्यवाही कर आदेश दिनांक 9.3.92 को भूमिस्वामी स्वत्व दखल रहित विशेष उपबंध अधिनियम 1984 केतहत प्रदान किये गये थे एवं सर्वे नं. 490 मिन रकवा 1.40 हे. पर 2.10.84 के पूर्व आवेदक का मां दिरों का आधिपत्य था इस कारण से आवेदक की मां दिरों को नायब तहसीलदार करैरा द्वारा प्र.क. 166/ 91-92/अ-19 दर्ज कर

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—2938—तीन / 2014

जिला—शिवपुरी

नाथूराम विरुद्ध श्रीमती पिस्ता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31-05-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी परगना करैरा, जिला—शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 30/2012-13/अपील में पारित आदेश दिनांक 05-07-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला—शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 22-07-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	 <p>(आर०क० जैन) सदस्य</p>